

डिक्री व मुकदमे की इच्छाजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलारा : पर्वत सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 54/2016

उनवान मुकदमा

1. गौतम पिता श्री रामा जोगी आयु 80 वर्ष पेशा कृषि निवारी गांव सागडोद पटवार मण्डल सागडोद तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्रीमती तुलसी पिता स्व. भुरा जागी (पत्नी श्री शंकर जोगी) जाति जोगी आयु 50 वर्ष पेशा कृषि निवारी गांव सागडोद पटवार मण्डल सागडोद तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

वनाम

1. हिरा पिता श्री वेलीया जोगी जाति जोगी आयु 60 वर्ष पेशा कृषि निवारी गांव सागडोद पटवार मण्डल सागडोद तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. धुलजी पिता श्री वेलीया जोगी जाति जोगी आयु 60 वर्ष पेशा कृषि निवारी गांव सागडोद पटवार मण्डल सागडोद तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
3. तहसीलदार तहसील बांसवाडा (राज.)

—: वादीगण

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 23/03/2022

सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे एवं हाजिर विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दलाल पुरोहित, श्री जयेन्द्र पुरोहित, श्री हरिविष्णु पुरोहित प्रतिवादीगण संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री नानालाल चरपोटा पेशा होकर हुकम दिया जाता है तहसीलदार तहसील बांसवाडा के पत्रांक 283 दिनांक 12-03-2022 अनुसार निर्णय दिनांक 17-02-2020 की पालना में ग्राम सागडोद के खाता संख्या 511 कित्ता 2 रकबा 1.6989 हैक्टयर खाते का बंटवारा मौके के कब्जे के आधार पर मुताबिक बंटवारा फेरिस्त अनुसार निम्नानुसार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	गौतम पुत्र रामा, तुलसी पुत्र भुरा, मोती पत्नि स्व. भूरालाल जोशी साकिन देह खातेदार	46	0.9384	का-1	1.31
	कुल	1	0.9384		1.31
2	नरेश कुमार सोलंकी पुत्र हीरालाल जाति पटेल, संतोष पत्नि राजेन्द्र जाति पटेल साकिन देह खातेदार	45	0.7605	का-1	1.06
	कुल	1	0.7605		1.06

प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 2 ने अपने हित व हिस्से की भूमि में से खसरा नम्बर 45 रकबा 0.7605 हैक्टयर का विक्रय श्री नरेश कुमार सोलंकी पुत्र हीरालाल व संतोष पत्नि राजेन्द्र जाति पटेल साकिन देह खातेदार को कर दिया है एवं मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री खसरा नम्बर 46 रकबा 0.9384 हैक्टयर वादी के हिस्से में रहेगा।

इस आशय की डिक्री जारी कर वारते पालनार्थ तहसीलदार बांसवाडा को भिजवाई जाकर कि वह डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बंटवारा अनुसार अमल दरामद करे।

नोट— शून्य मुवलिग शून्य वावत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख प्रमुख्यतः तक शून्य का अदा करे।



अध्याक्षक एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 23.03.2022 को जारी की गई।

ku
(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा
बांसवाडा (राज.)

मुदई	रूपया पैसा	मुदवायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	वबत इजराय हुकननामा	शून्य
वबत इजराय हुकननामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

ku
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा
बांसवाडा (राज.)